

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक

B/4113

जबलपुर, दिनांक 24/07/2021


निम्नलिखित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1976 के नियम 4(एक) के अंतर्गत 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के रूप में, वेतनमान रूपये 4440-7440 + ग्रेड पे रू. 1300/- (7 वे वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500-49000) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त व्यपवर्तित करते हुए दिनांक 22.07.2021 से निम्नांकित शर्तों पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है :-

क्रमांक	नाम
1	2
1.	श्री नीरज वर्मा आत्मज श्री सोहन लाल वर्मा, भृत्य
2.	श्रीमति पुष्पा सिंह परिहार पति श्री कमलेश सिंह परिहार, रसोइया
3.	श्री अजय कुमार तिवारी आत्मज श्री बच्चा जी तिवारी, भृत्य
4.	श्री आशुतोष कुमार मिश्रा आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भृत्य
5.	श्री राघवेन्द्र द्विवेदी आत्मज श्री बसंत लाल द्विवेदी, भृत्य
6.	श्री अंकित सिंह ठाकुर आत्मज श्री विनोद कुमार सिंह, भृत्य
7.	श्री टेक बहादुर आत्मज श्री मान बहादुर, भृत्य
8.	श्री मनोज कुमार सेन आत्मज श्री चन्द्रशेखर सेन, भृत्य
9.	श्री आशीष जायसवाल आत्मज श्री हीरालाल जायसवाल, भृत्य
10.	श्री के. शिव प्रसाद आत्मज श्री के. अयन्ना, भृत्य
11.	श्री अनूप कश्यप आत्मज श्री संतोष कश्यप, भृत्य
12.	श्री शुभम रजक आत्मज श्री राजकुमार रजक, भृत्य
13.	श्री विनायक मिश्रा आत्मज श्री जय गोविंद मिश्रा, भृत्य
14.	श्री विनोद कुमार आत्मज स्व. श्री सुरेश प्रसाद, भृत्य
15.	श्रीमति रुबी श्रीवास्तव पति श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, रसोइया
16.	श्री दीपक कुमार कुलश्रेष्ठ आत्मज स्व. श्री अशोक कुलश्रेष्ठ, रसोइया
17.	श्री रूपेश सिंह शौनिक आत्मज श्री चन्दन सिंह शौनिक, भृत्य
18.	श्री मो. साबिर आत्मज श्री यार मोहम्मद, भृत्य
19.	श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी आत्मज श्री रामकुमार तिवारी, भृत्य
20.	श्री नीरज दुबे आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद दुबे, भृत्य
21.	श्रीमती अंकिता द्विवेदी पति श्री नीलेश कुमार द्विवेदी, रसोइया
22.	श्री अजय रैकवार आत्मज श्री काशीप्रसाद रैकवार, भृत्य
23.	श्री रामकृष्ण लोधी आत्मज श्री भगवान दास लोधी, भृत्य
24.	श्री अनुराग गुप्ता आत्मज श्री राममणि गुप्ता, भृत्य
25.	श्री राजेन्द्र सिंह राणा आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह राणा, भृत्य
26.	श्री राकेश कुमार बंजारा आत्मज श्री सरमन सिंह बंजारा, भृत्य
27.	श्री रामचन्द्र कुशवाहा आत्मज श्री देवराज कुशवाहा, माली

28.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा आत्मज श्री बल्मीक कुशवाहा, रसोइया
29.	श्री संदीप कुमार नामदेव आत्मज श्री राकेश नामदेव, भृत्य
30.	श्री विनोद श्रीवास आत्मज स्व० श्री राम कृष्ण श्रीवास, भृत्य
31.	श्री शुभम केवट आत्मज श्री टन्टूलाल केवट, भृत्य
32.	श्री आशीष कुमार राय (कलार) आत्मज श्री अशोक कुमार राय, भृत्य
33.	श्री अजय कुमार आत्मज स्व० श्री रमेश कुमार, फर्राश
34.	श्रीमति ज्योति तामियां पति श्री बैलफी तामियां, भृत्य
35.	श्री रामपाल सिंह आत्मज श्री दरियाव सिंह, भृत्य
36.	श्री लाला राम समुन्द्रे आत्मज श्री अर्जुन समुन्द्रे, फर्राश
37.	श्री मनोज खरे आत्मज श्री महेश खरे, फर्राश
38.	श्री राजेश झारिया आत्मज श्री सुखई लाल झारिया, भृत्य
39.	श्री अंकित सोनकर आत्मज श्री राजू सोनकर, रसोइया
40.	श्री रोहित करयार आत्मज श्री शंकर लाल करयार, फर्राश

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
3. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।
6. यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।

7. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
8. कर्मचारी को समय-समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।
9. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
10. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
11. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)


रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 24/07/2021

पृष्ठांकन B/4114
प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.)/रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक), स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री नीरज वर्मा आत्मज श्री सोहन लाल वर्मा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
12. श्रीमति पुष्पा सिंह परिहार पति श्री कमलेश सिंह परिहार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(रसोइया), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
13. श्री अजय कुमार तिवारी आत्मज श्री बच्चा जी तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
14. श्री आशुतोष कुमार मिश्रा आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
15. श्री राघवेन्द्र द्विवेदी आत्मज श्री बसंत लाल द्विवेदी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,

36. श्री राकेश कुमार बंजारा आत्मज श्री सरमन सिंह बंजारा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 37. श्री रामचन्द्र कुशवाहा आत्मज श्री देवराज कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 38. श्री सुरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा आत्मज श्री बल्मीक कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(रसोइया), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 39. श्री संदीप कुमार नामदेव आत्मज श्री राकेश नामदेव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 40. श्री विनोद श्रीवास आत्मज स्व० श्री राम कृष्ण श्रीवास, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 41. श्री शुभम केवट आत्मज श्री टन्टूलाल केवट, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 42. श्री आशीष कुमार राय (कलार) आत्मज श्री अशोक कुमार राय, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 43. श्री अजय कुमार आत्मज स्व० श्री रमेश कुमार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(फरार्शी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 44. श्रीमति ज्योति तामियां पति श्री बैलफी तामियां, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 45. श्री रामपाल सिंह आत्मज श्री दरियाव सिंह, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 46. श्री लाला राम समुन्द्रे आत्मज श्री अर्जुन समुन्द्रे, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(फरार्शी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 47. श्री मनोज खरे आत्मज श्री महेश खरे, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(फरार्शी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 48. श्री राजेश झारिया आत्मज श्री सुखई लाल झारिया, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 49. श्री अंकित सोनकर आत्मज श्री राजू सोनकर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(रसोइया), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 50. श्री रोहित करयार आत्मज श्री शंकर लाल करयार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(फरार्शी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)
km